DEPARTMENT OF WOMEN & CHILD DEVELOPMENT GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI 1st FLOOR, MAHARANA PRATAP ISBT BUILDING, KASHMERE GATE, DELHI-110006.

F.No.8(13)/Admn./WCD/2015/Pt. File/ 6/

Dated: 02/02/22

Sub:- Upload Notified Recruitment Rules for the post of "House Father/House Mother/ Matron" in Department of Women & Child Development on Department's official website.

I am directed to inform you to kindly upload the Notified Recruitment Rules for the post of "House Father/House Mother/Matron" in Department of WCD, GNCTD on the official website of our Department.

A copy of said Recruitment Rules is enclosed herewith for ready reference.

Encl: As above.

(Dr. Atul Pandey) Deputy Director (Admn.) DWCD, GNCTD

To,

System Analyst (IT Cell),
Department of Women & Child Development,
Govt. of NCT of Delhi,
ISBT Complex, Kashmere Gate,
Delhi-110006.

F.No.8(13)/Admn./WCD/2015/Pt. File/ [6]

Dated: 02 2 2 22

Copy for information to:

1. P.A. to Spl. Secretary-cum-Director, DWCD, GNCTD, ISBT Kashmere Gate, Delhi-06.

(Dr. Atul Pandey) Deputy Director (Admn.) DWCD, GNCTD

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA



एस.जी.-डी.एल.-अ.-28012022-232952 SG-DL-E-28012022-232952

असाधारण **EXTRAORDINARY**

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 481 No. 48]

दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 27, 2022/माघ 07, 1943

[रा.रा.से.दि. सं. 397

DELHI, THURSDAY, JANUARY 27, 2022/MAGHA 07, 1943

[N. C. T. D. No. 397

महिला एवं बाल विकास विभाग अधिसूचना

दिल्ली, 24 जनवरी, 2022

- F. No.8(13)Admn./WCD/2015/P.F./648.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 13 जुलाई, 1959 की अधिसूचना सं0 फांo 27/59—एचआईएम (i) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , सेवा विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से पूर्व परामर्श के पश्चात राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में गृह पिता / गृह माता / मैट्रन के पद हेतु भर्ती नियम बनाते है, अर्थात् :--
- संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंम :- (i) इन नियमों को महिला एवं बाल विकास विभाग, हाउस फादर/हाउस मदर/मैट्रन भर्ती नियमावली,
 - (ii) ये दिल्ली राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
- 2. पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर :- उक्त पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
- भर्ती पद्धति, आयु सीमा , योग्यताएं इत्यादि :— उक्त पदों की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं एवं इससे संबंधित अन्य मामलें उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
- अयोग्यता :- वह व्यक्ति,
- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पित या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है या
- (ख) जो एक जीवित पति / पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह अनुबंध कर चुका है, वह उक्त पद पर नियुक्ति

शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार हैं किसी ऐसे व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकती है।

- 5. **शिथिल करने की शक्ति** :—जहां सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक समीचीन है, तो वह कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए आदेश द्वारा व्यक्तियों की किसी श्रेणी या वर्ग के इन नियमों के किसी उपबंध को छूट दे सकती है।
- 6. बचावः— इन नियमों में किसी उल्लेख से केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय—समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये अपेक्षित आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अन्सची

1.	112.110		अनुसूची
	पदनाम		: गृह पिता / गृह माता / मैट्रन
2.	पदों की संख्या	+	: 69*(2020)
3.	वर्गीकरण		'परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर
		:	ग्रुप ''ग'' अराजपत्रित अलिपिकीय
4.	वेतन मैद्रिक्स में स्तर	:	वेतन मैट्रिक्स स्तर-4, (25500-81100 / -रुपये
5.	क्या चयन पद है अथवा गैर चयन पद	+.	गैर चयन
6.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु	1.	
	सीमा	:	18 — 25 ′
			(समय—समय पर जारी अनुदेशों /आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारिय के लिए शिथिलनीय)
			के लिए शिथिलनीय)
			यदि भर्ती दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड या इसी प्रकार की अन्य भर्त
			1 ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '
			होगी अन्यथा 18—25 वर्ष होगी।
			टीप – आयु सीमा निर्धारित करने के लिए मान्य तारीख वही होगी, जे
			पांगी सब डिवीज़न व अण्डमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षदीप के उम्मीदवार के लिए निर्धारित अंतिम तारीख नहीं है।
7.	सीघी भर्ती वाल उम्मीदवारों से अपेक्षित		अनिवार्य योग्यता:—
1	शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं		
			 समाज विज्ञान अथवा सामाजिक कार्य अथवा मनोविज्ञान अथवा बाल मनोविज्ञान अथवा अपराध विज्ञान विषय के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक ।
			2. सैकेण्डरी स्तर तक एक विषय के रूप में हिन्दी का अध्ययन ।
.	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए		आयु : नहीं
	गिधारित शक्षिक योग्यता एटोन्स्टि उपने	:	
	उम्मादवारा पर भी लागू होगी।		शैक्षिक योग्यता : हां
	परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई है	:	दो वर्ष
).	भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या		B) A 35
(वयाचात द्वारा या प्रतिनेशक्ति / उपार्यक्ति ।		सीधी भर्ती द्वारा – 95 :
	वारा पिशामा पद्धातिया स भरे जाने नाने ।	. (पदोन्नित द्वारा – 5 : जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा
	रिक्त पदों का प्रतिशत		समुचित क्षेत्र में सार्वजनिक निगम एवं बाल विकास राष्ट्रीय संस्थान द्वारा
			उपयुक्त अवधि के लिए पदोन्नित प्रशिक्षण अनिवार्य होगा ।
.	यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समावेशन	:	पदोन्नति :
	थारा गता होगा हो तो गर किन्ते।		
	पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / समावेशन किया		आठ वर्ष की नियमित सेवा सहित तथा सीधी भर्ती के लिए यथानिर्धारित
		1	अन्य योग्यता रखने वाले वेतन मैट्रिक्स स्तर —2 (19900—63200/—रूपये)
	gravitation and the second		प्रतिनियुक्ति :
		3	केन्द्रीय सरकार / राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र के निम्नलिखित अधिकारी
		2	क. (1) मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर समरूप पदधारण करने वाले; अथवा

Sec.			- EXTICAORDINARY
			पर पद पर नियुक्ति के उपरांत पाँच वर्ष की नियमित सेवा सहित अध मूल संवर्ग या विभाग में समकक्ष य अथवा
			वेतन मैट्रिक्स स्तर –2 (19900 – 63200 / – रूपये) में नियमित आध पर पद पर नियुक्ति के उपरांत आठ वर्ष की नियमित सेवा सहित अथ मूल संवर्ग या विभाग में समकक्ष य
12.			(ख)ं कालम 7 में सीधी भर्ती के लिये निर्धारित शैक्षिक योग्यता रखने वाले (केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन / विभाग में इस नियुवि से तुरन्त पूर्वधारित किसी अन्य गैर संवर्ग पद में प्रतिनियुक्ति की अविधानियात्वतः तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति हैं अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तारीख को छप्पन (56
12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है।	:	वर्ग ''ग'' विभागीय पदोन्नित समिति (पदोन्नित तथा स्थाईकरण पर्विचारार्थ) (i) प्रधान सचिव / सचिव (प्रशासनिक सुधार) – अध्यक्ष
13.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।	:	(ii) निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग –सदस्य (iii) उप–सचिव (सा०प्र०वि०), –सदस्य लागू नहीं

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से और उनके नाम पर

डॉ. रश्मी सिंह, विशेष सचिव

DEPARTMENT OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT NOTIFICATION

Delhi, the 24th January, 2022

- F. No. 8(13)/Admn./WCD/2015/P.F./648.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, notification number F-27/59-Him. (i), dated the 13th July, 1959, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, after prior consultation with the Services Department, Government of the National Capital Territory of Delhi is pleased to make recruitment rules for the post of House Father/House Mother/Matron in the Department of Women and Child Development, Government of National Capital Territory of Delhi, namely: -
- 1. Short title and commencement: (i) These rules may be called the 'Department of Women and Child Development, House Father/House Mother/Matron' Recruitment Rules, 2021.
 - (ii) They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.
- 2. Number of Posts, Classification and level in the pay matrix: The number of the said posts, their classification and Level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule
- 3. Method of recruitment, age limit, Qualifications, etc: The method of recruitment to the said posts, age limit, qualification and other matters connected therewith, shall be as specified in columns (5) to (13) of the said
 - 4. Disqualification: No person-
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - (b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with a person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Government may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 5. Powers to relax: Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by a order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class
- 6. Saving: Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the order issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

	SCHEDULE							
Name of the post.	posts.	Classifica- tion.	Level in the pay matrix.		r Age limit for direct recruits.	Educational and other qualificatio required for direct recruits.	n prescribed for	
1	2	3	4	5	6	7	promotees.	
House Father/House Mother/Matron.	69* (2020) *Subject to variation Dependent on work load.	Group-C, Non- Gazetted, Non- Ministerial.	Pay Matrix Level-4 (Rs. 25500- 81100)/-	Non- Selection. Non- felection. Non- file Non- file Non- file Non- file Ar Pra Mi Ma Na Na Na Na Na Na Na Na Na	(Relaxable for government servant as per instructions/orde rs issued from time to time) * If recruitment is made through DSSSB or any other similar recruitment agencies in that case the age imit may be prescribed as 8-27 years therwise the ame may be ept as 18-25 ears. * If recruitment agencies in that case the age imit may be prescribed as 8-27 years therwise the ame may be ept as 18-25 ears. * In the closing the ge-limit shall at the closing the for receipt applications of candidates and and the escribed for the prescribed for the pre	Essential Qualification: (1) Graduation from a recognized University with Sociology or Social Work or Psychology or Child Psychology or Criminology as a subject. (2) Studied Hindi as a subject upto Secondary level.	7	

	Ladakh Division	
	of J&K State,	
*	Lahaul & Spiti	
	District and	
	Pangi Sub	
	Division of	
	Chamba District	
	of Himachal	
	Pradesh,	
	Andaman &	
	Nicobar Islands	
	or	
	Lakshadweep).	

Period of				
probation, if any.		deputation/		in which Union Public Service Commission is to be consulted in making
9	10			
	10	11	12	recruitment.
wo years.	By Direct Recruitment- 95% By Promtion-5% failing which by Deputation On promotion training for appropriate period by National Institute of Public Cooperation and Child Development in the appropriate area shall be mandatory. (In the propriate area and base)	With 5 years service rendered after ppointment to the post on a regular asis in Pay Matrix Level-3 Rs.21700-69100) or equivalent in the parent cadre or department with 8 years service rendered after oppointment to the post on a regular asis in Pay Matrix-2 of (Rs.19900-3200) or equivalent in the parent dre or department; and Possessing education qualifications prescribed for direct recruits in col. No. 7.	Group 'C' DPC (for considering promotion and confirmation): - 1. Principal Secretary/Secretary (AR)- Chairman 2. Director, DWCD- Member 3. Dy. Secretary (GAD)- Member	Not applicable.

By Order and in the Name of Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

Dr. RASHMI SINGH, Spl. Secy.

MAHADASAM